

लोक सुनवाई का वृत्त

मेसर्स हर्ष कन्सट्रक्शन द्वारा गया जिला के अंचल- बेलागंज और खिजरसराय के गया फल्गु-01 बालू घाट, मौजा- श्रीपुर, खिजरसराय और बुधुआ, फल्गु नदी का क्षेत्रफल-92 हेक्टेयर क्षेत्र बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक- 22.09.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे बेलागंज प्रखण्ड कार्यालय, बेलागंज, जिला-गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के तहत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0.ओ0.आर0. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/1034/2020, दिनांक- 21.07.2020 के आलोक में श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) गया की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)**

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक- 22.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान श्री ए. के. गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डा0 जतीन श्रीवास्तव द्वारा बालू उत्खनन के दौरान प्रदूषण नियंत्रण हेतु की जाने वाली व्यवस्था, सोसल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से बताया गया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान धूल उड़ने से रोकने के लिए सड़कों पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलॉडिंग नहीं करेंगे एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाएंगे। खनन कार्य सतह से 2-3 मीटर की गहराई तक या भू-जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हॉर्न) का न्यूनतम उपयोग, पी.यू.सी. प्रमाणित वाहनों का इस्तेमाल एवं खराब ट्रकों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा। दुलाई और निकास मार्ग पर पड़ने वाले परिवहन भार को नियंत्रण रखा जायेगा। कॉरपोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के तहत परियोजना लागत का 2 प्रतिशत राशि क्षेत्र के विकास एवं लाभकारी योजना में व्यय किया जायेगा।

अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) गया द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। इससे लोगों को रोजगार, सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, साथ ही विकास कार्य होगा। बालू विकास के लिए एक मुख्य घटक होता है। पट्टाधारी द्वारा नियमानुसार बालू का खनन किया जायेगा साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जायेगा। स्थानीय लोग बेहतर जानते हैं। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है। परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं:-

24.09.20

1. श्री दीपक कुमार, पिता-स्व० रणजीत सिंह, ग्राम-काजी दौलतपुर, जिला-गया, द्वारा पूछा गया कि बालू लदे वाहनों का आवागमन किस प्रकार से होगा।

उत्तर- इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार डा० जतीन श्रीवास्तव ने बताया कि बालू को ट्रक एवं ट्रेक्टर द्वारा लोडिंग मानकों को ध्यान में रखकर एवं तिरपाल से ढककर वाहनों का आवागमन किया जायेगा।

2. श्री अंजीव कुमार, ग्राम-पथरी, जिला-गया द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू का ढुलाई नियमानुसार हों तथा बालू की ढुलाई अवैध रूप से करने के कारण नुकसान होता है।

3. श्री दिवाकर कुमार, पिता-श्री रवीन्द्र नाथ, ग्राम-काजी दौलतपुर, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि बालू उत्खनन के दौरान ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं।

उत्तर- पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि सबसे पहले स्थानीय लोगों को ही रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जायेगी।

4. श्री अरूण पाण्डेय, पिता-स्व० जनार्दन पाण्डेय, ग्राम-पनारी, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि बालू उत्खनन का समय क्या रहेगा एवं पेड़-पौधा कितना और कहाँ लगाया जायेगा?

उत्तर- बालू उत्खनन का कार्य सूर्य की रोशनी में ही सुबह 06:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक होगी। बालू ढुलाई का कार्य रात में भी हो सकती है। पेड़-पौधे नदी के किनारे, खाली स्थान एवं सड़क के किनारे में लगेंगे जिनकी संख्या लगभग 1000 होगी। पूरे पाँच साल में पौधा रोपण का कार्य किया जायेगा।

5. श्री महेश यादव, पिता-स्व० खेलावन यादव, ग्राम-श्रीपुर, जिला-गया द्वारा सुझाव दिया गया कि पौधों की संख्या 1000 से ज्यादा हो। कम-से-कम 2,000 पेड़ लगना चाहिए।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा आश्वस्त किया गया कि आवश्यकता का आंकलन कर पेड़ लगा देंगे।

6. श्री मनीष कुमार, पनारी पैक्स अध्यक्ष, जिला-गया द्वारा सुझाव दिया गया कि मंदिर का निर्माण, चापाकल लगाया जाय तथा वृक्षों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो।


क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि०रा०प्र०नि० पर्षद द्वारा बताया गया कि बालू ढुलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ-ही-साथ विकल्प सड़क का भी पहचान किया जाना चाहिए ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर इस परियोजना क्षेत्र में पूर्व में भी खनन हुआ है तो Sand Reserve का ब्योरा Final EIA में उपलब्ध कराया जाए। उनके द्वारा पूछा गया कि पट्टाधारक द्वारा कितना प्रतिशत नदी का खनन क्षेत्र का हिस्सा में खनन नहीं किया जायेगा।


पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की ढुलाई गाँव/आबादी के बीच नहीं की जायेगी। विकल्प सड़क की व्यवस्था की जायेगी। आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए विद्यालय आने-जाने के समय या भीड़-भाड़ होने के दौरान बालू की ढुलाई नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि नदी के खनन क्षेत्र के 40 (चालीस) प्रतिशत हिस्सा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

L  24.09.20

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से कराया जायेगी। ट्रक से बालू ले जाते समय सड़क पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू तिरपाल से ढक कर ले जायेंगे। बालू की खुदाई 2-3 मी० ही की जायेगी। उन्होंने उम्मीद जतायी कि प्रत्येक इकाई द्वारा इन बातों का ध्यान रखा जायेगा, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य करने एवं विभागीय निदेश का अनुपालन करने का सुझाव दिया गया। साथ ही खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं इसका देख रेख पट्टाधारी द्वारा किया जायेगा।














अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०.रा०.प्र०.नि०.पर्वद, गया।


अपर समाहर्ता (वि०जा०)
गया

उपस्थिति सूची

मे० हर्ष कन्सट्रक्सन्स, जिला-नवादा द्वारा गया जिलान्तर्गत अंचल-बेलागंज एवं खिजरसराय के फल्गु नदी पर घाट-01 से बालू खनन करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय, बेलागंज, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 22.09.2020 (मंगलवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	संतोष कुमार शिवाका	आमलगाँव (वर्षा) जमी	
2.	आशीष कुमार गुप्ता क्षेत्रीय परामर्शकारी गया	बि० १०५० मि० पर्वत, पटना	
3.	प्रवीण कुमार मिश्रा Consultant	Yamuna - 5, flat - 503 Jalalpur city, Patna	
4.	Dr. Jatin K. Srivastava Consultant	Bo 228, Rajaraj Pooam Udenow	
5.	Pareek Singh	Lakshmi -	
6.	दीपक कुमार	काजी दौलतपुर	
7.	Ravi kushan	श्री नील	
8.	Maharaj Sunar	श्रीपुर	
9.	VIVEK KUMAR	At home based person Contractor (Harsh Construction)	
10.	श्री गणेश विश्वकर्मा	श्री गणेश पौ० बौधारी सिंगहा	
11.	ब्रजेश कुमार	ज० म० करधर	
12.	कुल कुमार	श्री नील	
13.	Piyush Kumar	Bilaspur Pawa Pachpur Gaya	
14.	दीपक कुमार	काजी दौलतपुर	